प्रेस नोट

जनपद – सोनभद्र

दिनांक 05.05.2026

□ थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस की बड़ी कार्यवाही, घर में घुसकर चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़□

□ चोरी के आभूषण व पीतल के बर्तन बरामद, 03 नफर शातिर अभियुक्त गिरफ्तार-□

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र श्री अभिषेक वर्मा के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री अनिल कुमार के व क्षेत्राधिकारी नगर श्री रणधीर मिश्रा के पर्यवेक्षण में थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

दिनांक 04.05.2026 को पुलिस टीम क्षेत्र में गश्त एवं वांछित अभियुक्तों की तलाश में मामूर थे। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि मु0अ0सं0 355/2026 धारा 305(ए) बीएनएस से संबंधित नामजद अभियुक्त प्रिन्स त्रिपाठी उर्फ राजा त्रिपाठी अपने साथियों के साथ ग्राम बहुआर स्थित तालाब के पास चोरी के माल का बंटवारा कर रहे हैं। प्राप्त सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम द्वारा योजनाबद्ध तरीके से घेराबंदी कर मौके से 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से महिलाओं के आभूषण (पायल व बिछिया) एवं नगद धनराशि बरामद हुई। साथ ही अभियुक्तों की निशानदेही पर नहर पुलिया के पास छिपाकर रखे गए पीतल के बर्तन (बटुआ फूल, कटोरा, परात आदि) भी बरामद किए गए। उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2), 329(2)बीएनएस की बढ़ोत्तरी करते हुए अग्रेतर वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्तों द्वारा स्वीकार किया गया कि उन्होंने अपने अन्य साथी श्वेत पाठक के साथ मिलकर वादी बिजेश्वर तिवारी के घर में रात्रि के समय घुसकर चोरी की थी तथा चोरी का माल आपस में छिपाकर रख लिया था। आज उक्त माल को बांटने एवं बेचने के उद्देश्य से एकत्रित हुए थे, तभी पुलिस टीम द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। प्रकरण में अन्य सहअभियुक्त श्वेत पाठक की संलिप्तता प्रकाश में आई है, जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. प्रिन्स त्रिपाठी उर्फ राजा त्रिपाठी पुत्र राकेश त्रिपाठी निवासी ग्राम बहुआर थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र, उम्र लगभग 21 वर्ष
02. आनन्द शंकर त्रिपाठी उर्फ बादशाह पुत्र विनोद कुमार त्रिपाठी निवासी ग्राम बहुआर थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र, उम्र लगभग 38 वर्ष
03. योगेन्द्र नाथ मिश्रा उर्फ लालू मिश्रा पुत्र स्व0 रमाशंकर मिश्रा निवासी ग्राम बहुआर थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र, उम्र लगभग 40 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

- 02 अदद पायल (सफेद धातु)
- 09 अदद बिछिया (महिलाओं के आभूषण)
- पीतल के बर्तन (बटुआ फूल, कटोरा, परात आदि)
- 490 नगद धनराशि बरामद।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 355/2026 धारा 305(ए), 317(2), 329(2)बीएनएस थाना रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

01. उ0नि0 शाहिद खान, थाना रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र।
02. हे0का0 हेमन्त बारी, थाना रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र।
03. का0 सत्येन्द्र कुमार, थाना रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र।
04. का0 देवेन्द्र कुमार, थाना रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र।

➡ जनपद पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध अभियान निरंतर जारी है तथा ऐसे संगठित गिरोहों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।